रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240374 CG-DL-E-17112022-240374

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5136] No. 5136] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

### सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

का.आ. 5362(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यहां संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारियों को अधिकृत करती है।सक्षम प्राधिकारी के रूप में उक्त अधिनियम के तहत उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के विस्तार के संबंध में, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी, उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों के कार्यों को करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में भारतमाला चरण- ॥ के तहत पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद एक्सप्रेस (ग्रीनफील्ड संरेखण) के निर्माण के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4), (5) (6) और (7) में उल्लिखित राज्य जिलों, तालुका / तहसील और गांवों से संबंधित।

7653 GI/2022 (1)

## **अनुसूची** महाराष्ट्र राज्य में भारतमाला चरण- II के तहत पुणे - अहमदनगर - औरंगाबाद एक्सप्रेसवे (ग्रीनफील्ड संरेखण) के लिए भूमि अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Dy. Collector	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या No Yet to be Assigned के कि.मी. 214.295 से 268.912 तक	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	1       पिरवाडी         2       हिरापूर         3       सुंदरवाडी         4       झाल्टा         5       आडगाव बी.के         6       चिंचोली         7       घरदोन	
					पैठण	1       वरवंडी खुर्द         2       पारगाव         3       डोणगाव         4       बालानगर         5       कापूसवाडी         6       वडाळा         7       ववा         8       वरूडी बी.के         9       पाचळगाव         10       नारायणगाँव         11       करंज खेडा         12       अखतबाड़ा         13       बाघाडी         14       दडेगांव जहांगीर         15       पाटेगाँव         16       साईगांव         17       पैठण (MC-1)	

[फा. सं. NHAI/PIU/Pune/Pune-Aurangabad] राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2022

**S.O.** 5362(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government here by authorizes the officers mentioned in column (2) of the schedule annexed hereto as the Competent Authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in corresponding entry in column (3) of the said schedule relating to State, Districts, Taluka / Tehsil and villages mentioned in column (4),(5), (6), and (7) respectively of the said schedule for building Pune – Ahmednagar - Aurangabad Expressway greenfield Alignment under Bharatmala Phase-II in the state Maharashtra.

#### **SCHEDULE**

Land Acquisition for Pune – Ahmednagar - Aurangabad Expressway (Greenfield Alignment) under Bharatmala Phase-II in the state Maharashtra.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Dy. Collector	214.295KM. To 268.912KM.	MAHARASHTRA	AURANGABAD	Aurangabad 4 5	Hirapur Sundarwadi Zalta Adgaon BK Chincholi
					1 1 1 1 1	Pargaon Dongaon Balanagar Kapuswadi Wadla Wawa Warudi Bk.

[F. No. NHAI/PIU/Pune/Pune-Aurangabad]

RAJESH GUPTA, Director